

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

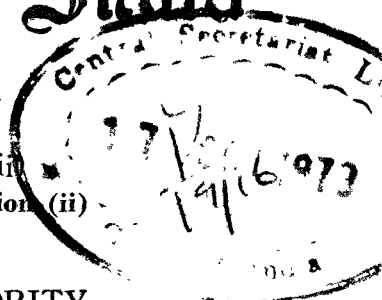
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 331] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 1973/आश्विन 4, 1895

No. 331] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 1973/ASVINA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September 1973

S.O. 519(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Fifth Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for entry (18), the following entry shall be substituted, namely:—

“(18) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Irrigation and Power, by a Director, Deputy Director (Power) or the Budget Officer in that Ministry; or”

[No. F. 3/6/73-Public I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिपूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1973

का० प्रा० 519 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) पंचम संशोधन नियम 1973 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम 1958 के नियम 2 में, प्रविष्टि (18) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—
 “18. सिचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों के विषय में उस मंत्रालय के निदेशक, उप-निदेशक (विद्युत) या बजट अधिकारी द्वारा ; या ”

[सं० फा० 3/6/73—पब्लिक 1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।